भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1459

जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 09 फरवरी, 2026/ 20 माघ, 1947 (शक) को दिया जाना है

सीबीडीटी में अजा/अजजा के अधिकारियों की "स्वयं की योग्यता" के आधार पर पदोन्नति

1459. श्री ए. राजाः

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के कार्यालय ज्ञापनों में निर्धारित, अजा/अजजा वर्ग के अधिकारियों को वरिष्ठता के आधार पर "स्वयं की योग्यता" पदोन्नति की अवधारणा, को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के कार्यालय और इसके 18 संवर्ग नियंत्रण अधिकारियों में लागू नहीं करने के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
(ग) क्या विभाग में "स्वयं की योग्यता" पदोन्नति लागू नहीं होने के कारण 10,000 से अधिक बैकलॉग रिक्तियां मौजूद हैं; और
(घ) यदि हाँ, तो नीति को लागू करने और सभी बैकलॉग रिक्तियों को समयबद्ध आधार पर भरने के लिए सरकार द्वारा की गई/प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तरः
वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ): राजस्व विभाग के सीबीडीटी में समय-समय पर “स्वयं की योग्यता” के आधार पर पदोन्नति से संबंधित मुद्दे सहित पदोन्नति के मुद्दे पर अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं।

इन अभ्यावेदनों की जांच कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपी एंड टी) द्वारा जारी मौजूदा निर्देशों के अनुसार की जाती है, जो एक सतत प्रक्रिया है।

पदोन्नति में आरक्षण का मुद्दा भी भारत के उच्चतम न्यायालय में जरनैल सिंह और अन्य बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता और अन्य तथा अन्य संबंधित मामलों में अंतिम निर्णय के लिए लंबित है।

*****